

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2707/2016

दिनांक: 17/08/2016

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद (बैठक दिनांक: 30.05.2016) की अनुमति से द्वारिका प्रसाद बालकराम महाविद्यालय, अछल्दा रोड, विधूना, औरैया को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
7. महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, द्वारिका प्रसाद बालकराम महाविद्यालय, अछल्दा रोड, विधूना, औरैया को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित विषयों का सत्र 2015-16 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के वर्णित विषयों में दिनांक: 01.07.2016 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
7. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./अनापत्ति/ 53 /2013

दिनांक: 24/04/2013

अनापत्ति

शासनादेश सं०-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक: 20.04.2013 के अन्तर्गत सोसाइटी/ट्रस्ट श्रीमती लीलावती चैरेटेबुल स्मृति न्यास, आर्यनगर, बिधूना, औरैया द्वारा संचालित प्रस्तावित द्वारिका प्रसाद बालकराम महाविद्यालय, अछल्दा रोड, बिधूना, औरैया को रनातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल व गृह विज्ञान एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश 09.08.2012 के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) औरैया (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) के भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति पत्रांक 1368/महाविद्यालय-अनापत्ति/2013 दिनांक- 03 मार्च, 2013 (हस्ताक्षरित दिनांक 03.04.2013) के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है-

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि ग्राम बबीना सुखचैनपुर, परगना व तहसील बिधूना, जिला औरैया स्थित गाटा संख्या 15/0.031हे०, 25/0.430हे०, 26/0.040हे० कुल भूमि 0.501हे० पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) औरैया (जिलाधिकारी के नामित सदस्य) की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक 03 मार्च, 2013 (हस्ताक्षरित दिनांक 03.04.2013) के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. यह अनापत्ति शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य प्रभावी शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत की जा रही है। उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्राप्त होने/विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी।
5. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
6. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
7. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
8. शासनादेश सं०2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 को अन्तर्गत शासन को सम्बद्धता प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, औरैया।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल।
4. प्रबन्धक/सचिव, प्रस्तावित द्वारिका प्रसाद बालकराम महाविद्यालय, अछल्दा रोड, बिधूना, औरैया।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./सम्ब./313 /2019

दिनांक : 30/5 /2019

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 30.05.2019) से द्वारिका प्रसाद बालकराम महाविद्यालय, अछल्दा रोड, बिधूना, औरैया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, भूगोल एवं गृह विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2019-20 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
5. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
6. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
7. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
8. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

(डा० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक, द्वारिका प्रसाद बालकराम महाविद्यालय, अछल्दा रोड, बिधूना, औरैया को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को सम्बन्धित महाविद्यालय के कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION-4

F. No. NRC/NCTE/NRCAPP-15107/ Corrigendum/2016 /154662

Dated: 26 JUL 2016

Corrigendum

In terms of decision taken by NRC in its Emergency Meeting held from 15th March to 17 March , 2016, the approved annual intake mentioned in the recognition order No. File No. / NRC / NCTE / Recognition / D.El.Ed. / 2016 / 142867-3467 dated 03.03.2016 be read as follows:-

Sr. No.	File No.	Name of Institute	Course	Duration	Approved annual intake mentioned in the above referred recognition order	Approved annual intake Be read as	Meeting
1	NRCAPP-15107	Dwarika Prasad Balakram Mahavidyalaya, Plot No.-15,25,26, Village- Bidhuna, Post office- Bidhuna, Tehsil/Taluka- Bidhuna, Town/City- Bidhuna, Distt.- Auraiya-206243, Uttar Pradesh.	D.El.Ed	2 Years	50 (1 Unit)	100 (2 Units)	Emergency Meeting

Other contents of the recognition orders will remain unchanged.


(Dr. I. K. Mansoori)
Regional Director

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054.

Copy to:-

1. The Principal:- Dwarika Prasad Balakram Mahavidyalaya, Plot No.- 15,25,26, Village- Bidhuna, Post office- Bidhuna, Tehsil/Taluka- Bidhuna, Town/City- Bidhuna, Distt.- Auraiya-206243, Uttar Pradesh.
2. The Director, State Council Education for Research & Training (SCERT), UP State Government, JBTC Caampus, Nishat Ganj, Lucknow-226007, Uttar Pradesh,
3. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.

Office of Secretary, Examination Regulatory Authority, U.P. Allahabad

Ref No./ BTC/NOCI 7734-37

/2015-16 Date : 29, June, 2015

NO OBJECTION CERTIFICATE

As the Affiliating Body/Examination Regulatory Authority this organisation has 'No Objection' to affiliate the applicant DWARIKA PRASAD BALAK RAM MAHAVIDYALAYA, BIDHUNA, AURAIYA for D.El.Ed programme. The said institution may make an application before Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education (NCTE) for consideration of recognition subject to fulfillment of the conditions prescribed by NCTE Regulation 2014.

Such affiliation will ensure adoption of the D.El.Ed Curriculum prescribed by the NCTE, conduct of examinations and award of Degrees. The Affiliating Body/Examination Regulatory Authority will also participate in the faculty/recruitment process and certify the approved faculty list.

The Affiliating Body/Examination Regulatory Authority will also monitor the functioning of the institution to ensure its adherence to the Norms and Standards prescribed by NCTE and observance of U.P. State Government conditions of affiliation.


Smt.(Neena Srivastava)
Secretary
Examination Regulatory Authority
U.P. Allahabad

Cc. Ref No and Date as above –

1. Director, SCERT U.P. Lucknow.
2. Regional Director, Northern Committee, Fourth Floor Jeevan Nidhi – II, LIC Building, Bhawani Singh Marg, Ambedkar Circle, Jaipur, Rajasthan - 302005.
3. Principal DIET, Auraiya
4. Manager/Secretary Dwarika Prasad Balak Ram Mahavidyalaya, Bidhuna, Auraiya


Smt.(Neena Srivastava)
Secretary
Examination Regulatory Authority
U.P. Allahabad

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग-11
संख्या- 1249/15-11-2017
लखनऊ: दिनांक 02.05.2017 मई, 2017

शुद्धि पत्र

निजी संस्थान द्वारिका प्रसाद बालक राम महाविद्यालय, बिधुना, जनपद-
औरैया को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता दिये जाने विषयक निर्गत
शासनादेश संख्या-2502/15-11-2016 दिनांक 14.10.2016 में उल्लिखित यह अंश
कि "प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 से
29.07.2016 के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के
संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की
जा रही है, के स्थान पर

"प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 से
29.07.2016 के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के
संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की
जा रही है, पढ़ा जाय"।

2- शासनादेश संख्या-2502/15-11-2016 दिनांक 14.10.2016 को इस सीमा
तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 14.10.2016 की अन्य शर्तें एवं
प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली, पिन-110002।
- (2) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II
एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर,
राजस्थान, पिन-302005।
- (3) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- (4) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (5) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, औरैया।
- (6) सचिव/प्रबन्धक, द्वारिका प्रसाद बालक राम महाविद्यालय, बिधुना, जनपद-
औरैया।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।



Government of India
Ministry of Education

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Provisional Certificate

Reference No. C-48909-2024

This is to certify that Dr. Vivek Dubey of DWARIKA PRASAD BALAKRAM MAHAVIDHYALAYA, ACHHALDA ROAD, BIDHUNA AURRAYA (C-48909) has successfully submitted the data of All India Survey on Higher Education (AISHE) for the survey year 2024-2025.

(Handwritten signature)
प्रवीण प्रसाद बालकृष्ण महाविद्यालय
बिधुना - औरैया
(Ms. Navanita Gogoi)
Deputy Director General

Dated: 14/08/2025